भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2235**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**निर्भया निधि से संस्वीकृत, जारी और प्रयुक्त निधियां**

2235. श्री अहमद पटेलः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्भया निधि के अन्तर्गत संस्वीकृत, जारी और प्रयुक्त की गई निधियों का शीर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय की हेल्पलाइन प्रणाली अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षा बढ़ाने पर लक्षित प्रयासों के क्रियान्‍वयन के लिए निर्भया निधि नामक समर्पित निधि स्‍थापित की है। वित्‍त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया निधि के अंतर्गत प्राप्‍त हुई स्‍कीमों/प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन करने के लिए नोडल प्राधिकारी है। साथ ही वित्‍त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने निर्भया निधि द्वारा वित्‍त पोषित किए जाने हेतु, प्रस्‍तावित विभिन्‍न स्‍कीमों/परियोजना प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन करने तथा अनुमोदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्‍यक्षता में एक अधिकार प्राप्‍त समिति गठित की है। अनुमोदन के बाद प्रस्‍ताव वित्‍त मंत्रालय के बजट प्रभाग को निर्भया निधि से अनिवार्य बजटीय आबंटनों हेतु भेजा जाएगा।

1. निर्भया निधि के अतर्गत प्राप्‍त निरूपित एवं अनुशंसित प्रस्‍तावों का ब्‍यौरा;

|  |  |
| --- | --- |
| मंत्रालय का नाम | प्रस्‍ताव का नाम |
| गृह मंत्रालय | 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) |
|  | 234 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए अन्वेषक इकाइयां (आईयूसीएडब्‍ल्‍यू) |
|  | 244.32 करोड़ रुपये की परियेाजना लागत से महिलाओं और बच्‍चों के विरूद्ध साइबर अपराध निवारण (सीसीपीडब्‍ल्‍यूसी) |
|  | 83.20 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से संगठित अपराध अन्‍वेषक एजेंसी (ओसीआईए) |
| दिल्‍ली पुलिस | 6.20 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से दिल्‍ली में जिला तथा उप मंडलीय पुलिस स्टेशन स्‍तर पर व्‍यावसायिक परामर्शदाताओं को नियुक्‍त करना |
|  | 23.53 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से नानक पुरा, नई दिल्‍ली में महिलाओं तथा बच्‍चों के लिए विशेष यूनिट (एसपीयूडब्‍ल्‍यूएसी) तथा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए विशेष यूनिट (एसपीयूएनईआर) हेतु महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नया भवन। |
| रेल मंत्रालय | 500.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया पद्धति (आईईएमआरएस)। |
| परिवहन विभाग राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार | 140.00 करोड़ रुपये की लागत से लोक परिवहन की बसों में महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 6655 बसों (डीटीसी+क्‍लस्‍टर) में सीसीटीवी कैमरे तथा जीपीएस यन्‍त्र स्‍थापित करना। |
|  | 1.87 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 100 युक्‍तिपूर्वक अवस्‍थित आधुनिक स्‍टेनलेस स्‍टील बस पंक्‍ति शेल्‍टरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना। |

।।. निर्भया निधि के अंतर्गत वित्‍त पोषित निम्‍नलिखित स्‍कीमें पहले ही क्रियान्‍वित की जा रही हैं:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (म.बा.वि.मं.)

1. 18.58 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से वन स्‍टॉप सेंटर (ओएससी)

2. 69.49 करोड़ रुपये की कुछ परियोजना लागत से महिला हेल्‍पलाइन का सर्वसुलभीकरण।

**गृह मंत्रालय**

361.69 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से राष्‍ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस)

(ख) और (ग) : 1 अप्रैल, 2015 से महिला हेल्‍पलाइन (181) के सर्वसुलभीकरण की स्‍कीम परिवार समुदाय तथा कार्यस्‍थल आदि सहित सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन तथा गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों के माध्‍यम से क्रियान्‍वित की जा रही है। मंत्रालय ने पुद्दुचेरी दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को छोड़कर 33 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को निधियां निर्मुक्‍त की हैं। महिला हेल्‍पलाइन (181) छत्‍तीसगढ़, चण्‍डीगढ़, दिल्‍ली, मध्‍य प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्‍तराखण्‍ड, पंजाब, महाराष्‍ट्र तथा उत्‍तर प्रदेश में प्रचालित हैं।

\*\*\*\*\*